न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1448–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–7–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 644/निगरानी/2006–07

श्रीमती रामबाई पत्नी कल्लू सिंह गोड
निासी कोनी टोला तहसील सोहागपुर
जिला शहडोल म0प्र0

– – – आवेदक

विरूद्ध

अशोक कुमार गुप्ता तनय भैयालाल गुप्ता
निवासी कुदराटोला राजावाग तहसील
सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0

– – – अनावेदक

– – – – –
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
– – – – –
:: आदेश पारित ::
(दिनांक 05 जनवरी 2015)
– – – – –

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 644/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 24–7–2007 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका के पति कल्लू सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष ग्राम सोहागपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 269/2 रकबा 0.30 एकड़ के जुज भाग 10X15 फीट पर अनावेदक द्वारा नींव खोदकर कब्जा करने से संहिता की धारा 170(ख) के तहत कब्जा वापस दिलाये जाने बावत प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26–9–2005 के द्वारा आवेदक को कब्जा वापस दिलाये जाने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की गई। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 7–12–2006 के द्वारा मूल प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को वापस भेजा कि आवेदक कल्लू सिंह की मृत्यु कब हुई तथा भूमि एवं मकान का कब्जा किसको तथा कब दिया इस विषयक जांच कर एक माह में प्रतिवेदन सहित प्रकरण वापस भेजे। अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी पेश की गई। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 24–7–2007 के द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को उचित मानते हुए निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण में आवेदक के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये, परन्तु लिखित या मौखिक तर्क प्रस्तुत नहीं किए। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी में प्रस्तुत आधारों को ही तर्क मानने तथा प्रतिप्रार्थी अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों में संलग्न अभिलेख में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों (अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक अशोक कुमार गुप्ता ने अपर कलेक्टर न्यायालय मे अपील की। अपर कलेक्टर